

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय



## सतत और आपदा-सहनीय आवास पहल

प्रविष्टि तिथि: 12 MAR 2026 5:11PM by PIB Delhi

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) (25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी) पीएमएवाई-यू (को लागू कर रहा है), जिसका उद्देश्य पूरे देश में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाला पक्का घर प्रदान करना है, जो सभी मौसमों के उपयुक्त हो। पीएमएवाई-यू योजना की अवधि को निर्माणाधीन घरों के पूर्ण होने और एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियों को जारी करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त के अनुभवों के आधार पर, एमओएचयूए ने योजना को फिर से तैयार किया है और 'सबके लिए आवास' मिशन पीएमएवाई-यू 2.0 लॉन्च किया है, जो 01.09.2024 से प्रभावी है और जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए किफायती लागत पर घर का निर्माण, खरीद और किराए पर देना है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार स्तंभों के माध्यम से लागू किया जाता है, अर्थात्, लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराए का आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी) पीएमएवाई-यू (के तहत तकनीकी उप- मिशन) टीएसएम (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) यूटी (को तेज और गुणवत्ता के साथ आवास निर्माण के लिए आधुनिक, अभिनव, हरित और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में समर्थन देता है। टीएसएम के तहत, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया) जीएचटीसी-इंडिया (का आयोजन किया गया ताकि वैश्विक रूप से प्रमाणित, सतत, आपदा-सहनीय और पूर्व-निर्मित निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान की जा सके और उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। दुनिया भर से कुल 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया और उन्हें भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों के आधार पर छह श्रेणियों में बांटा गया ताकि राज्यों/यूटी द्वारा उन्हें अपनाना आसान हो। यह जानकारी [www.ghtc-india.gov.in](http://www.ghtc-india.gov.in) पर उपलब्ध है। इन प्रौद्योगिकियों को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये समय पर खरी उतरी हैं। इसके

अतिरिक्त ,टीएसएम के तहत ऊर्जा दक्ष डिज़ाइनों ,जलवायु सहनीय ,आधुनिक ,अभिनव और हरित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से तेज और गुणवत्ता के साथ घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

I. जीएचटीसी-इंडिया के तहत छह अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करने वाली छह हल्की आवास परियोजनाओं (लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स - एलएचपी) को देश के छह स्थानों पर निर्मित किया गया है। ये परियोजनाएँ भारतीय सरकार की सतत और आपदा-सहनीय तकनीकों को अपनाकर शहरी आवास की कमी को दूर करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं।

II. 13 प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डिमॉस्ट्रेशन हाउजिंग प्रोजेक्ट्स - डीएचपी) नई तकनीकों का उपयोग करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में बनाई गयी हैं ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष अभिनव और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक और ऊर्जा-कुशल सामग्रियों का प्रदर्शन किया जा सके और पेशेवरों के बीच तकनीकी जागरूकता फैलाई जा सके।

III. नवरीति (भारतीय आवास के लिए नई, सस्ती, सत्यापित, अनुसंधान अभिनव तकनीकें) नामक एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है ताकि नई और उभरती निर्माण सामग्री, तकनीकों और निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में निर्माण पेशेवरों की क्षमता बढ़ाई जा सके।

IV. 2021 में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) का आयोजन घरेलू स्वदेशी और अभिनव तकनीकों, निर्माण सामग्री और कम एवं मध्यम ऊँचाई वाले घरों के निर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। आईएचटीएम के तहत 84 अभिनव तकनीकों/उत्पाद/सामग्री का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 के तहत, एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 85 से अधिक अभिनव निर्माण प्रणाली और सामग्री प्रदर्शित की गईं।

V. जीआईजेड और भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के सहयोग से एमओएचयू ने किफायती आवास के लिए अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों और थर्मल कम्फर्ट पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिसे रचना (राष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से लचीला, किफायती और आरामदायक आवास) नाम दिया गया है। देशभर में 150 से अधिक रचना प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिसमें 11,000 से अधिक हितधारक शामिल हुए।

VI. विभिन्न भौगोलिक-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) संचालित की जा रही है, जो सुरक्षित, सतत और पर्यावरण-अनुकूल हैं और बीएमटीपीसी द्वारा गुणवत्तापूर्ण घरों की तीव्र वितरण सुनिश्चित करती हैं। पीएसीएस के तहत अब तक 88 अभिनव उत्पादों और प्रणालियों को प्रमाणित किया जा चुका है।

VII. राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण और नवीन निर्माण तकनीकों पर मार्गदर्शन समर्थन के लिए ऑफसाइट कार्यशालाओं/वेबिनारों, वेबकास्टिंग, तकनीकी ज्ञान/मॉड्यूल पर मार्गदर्शन की श्रृंखला का आयोजन किया गया।

VIII. तेज़, पर्यावरण-अनुकूल, ऊर्जा-कुशल, लागत-कुशल, पर्यावरण अनुकूल, आपदा-सहनीय, सतत निर्माण प्रणाली से संबंधित अन्य क्षेत्रों और नवीन निर्माण तकनीकों पर विभिन्न पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है।

टीएसएम की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए ,पीएमएवाई- यू2.0 के तहत तकनीकी और नवाचार उप-मिशन योजना)टीआईएसएम (नवीन डिजाइन और निर्माण प्रथाओं का समर्थन करती है ,गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देती है और देश में सतत आवास के लिए हरित भवन मानकों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से ,टीआईएसएम विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को अपनाने को बढ़ावा देती है, ताकि परंपरागत निर्माण सामग्री प्रथाओं के साथान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्री को मुख्यधारा में लाया जा सके और पैमाने का विस्तार किया जा सके। इस योजना के तहत परियोजनाएँ संसाधन-कुशल ,जलवायु-संवेदनशील ,आपदा-सहनीय ,पर्यावरण-अनुकूल और सतत भवन सामग्री, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देती हैं।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ,अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली एचपी परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान)टीआईजी (के रूप में अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाता है ,जिसे एमओएचयूए द्वारा अधिसूचित किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्थानीय संदर्भ के अनुसार मंत्रालय द्वारा पहचान की गई इन अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त ,पीएमएवाई- यू2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार ,राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चयनित तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों)टीपीक्यूएमए (के माध्यम से मिशन के बीएससी/एचपी/एआरएच स्तंभ के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। टीपीक्यूएम एजेंसियों को परियोजना स्थल पर जाना और गुणवत्ता संबंधित मुद्दों पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकायों को सलाह देना आवश्यक है।

यह जानकारी आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू द्वारा आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी गई।

\*\*\*

पीके / केसी / जके

(रिलीज़ आईडी: 2239162) आगंतुक पटल : 59  
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu